

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश-.../१८२.../२०१९

इस कार्यालय के आदेश सं०-१८१/२०१९ ज्ञापांक-८९५/स्था० दिनांक-२१.०६.२०१९ द्वारा लिपिकों के स्थानांतरण आदेश में राजभाषा के कर्मियों का स्थानान्तरण / पदस्थापन किया गया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, उर्दू निदेशालय, पटना के पत्र सं०-४३४/रा० दिनांक-१३.०८.२०१५ द्वारा यह निदेश दिया गया है कि उर्दू कर्मियों का स्थानान्तरण / पदस्थापन विभागीय आदेश के बिना नहीं करनी है।


अतः वर्णित निदेश के आलोक में आदेश दिया जाता है कि उर्दू कर्मों अपने विभागीय आदेश से पदस्थापित कार्यालय में बने रहेंगे। एतद् द्वारा उपरोक्त आदेश को तदनुसार संशोधित समझा जाय।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक-...८९६.../स्था०, छपरा दिनांक-...२२-०६-१९

- प्रतिलिपि :-** उप विकास आयुक्त, सारण/अपर समाहर्ता, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** सभी संबंधित कर्मियों के नियंत्री पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश पत्र की प्रति अपने अधीनस्थ कर्मियों को प्राप्त कराते हुए तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :-** जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त आदेश पत्र की प्रति सारण जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :-** कोषागार पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा